अनुसूची 14 – फारम संख्या 562

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 16 of 2017

Dist.:-Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Sanjay R. Kumar - Petitioner/ Appellant

Versus

The Commissioner of Excise Bihar & Ors - Respondent/ Opp. Party

Appearance :
For the Petitioner : Sri Satyabir Bharti, Advocate
For the OP : Sri Shambhu Prasad, G.P.

O R D E R

05.09.2018

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद आयुक्त उत्पाद द्वारा दिनांक– 03.10.2016 को अपील वाद सं0– 50/2009 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। उक्त वाद को Board of Revenue द्वारा Case No.– 110/2013 में दिनांक– 01.04.2016 को आदेश पारित कर उत्पाद आयुक्त को Remand किया गया था। उक्त आदेश के आलोक में आयुक्त उत्पाद द्वारा अपील वाद सं0– 50/2009 में आदेश पारित किया गया।

आवेदक ने अपील वाद सं0– 50/2009 में उत्पाद आयुक्त द्वारा पारित आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No. 20980/2013 दायर कर चुनौती दी। परन्तु उपर्युक्त वाद में दिनांक– 12.12.2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक को सक्षम न्यायालय में अपनी बात रखने की आजादी देते हुए याचिका को disposed off कर दिया। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा यह वाद दायर किया गया है।

देश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश प. की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित 3

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी को देशी शराब का उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति दरभंगा जिला में दिनांक– 01.06.2005 से दिनांक– 31.03.2008 तक जिसे दिनांक– 30.06.2009 तक बढ़ाया गया एवं दरभंगा समाहर्त्ता द्वारा Form No.-27 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है।

बिहार उत्पाद के नियम 45 की धारा– 90 के अन्तर्गत यह पूर्ण रुप से अनुज्ञाधारी का दायित्व है कि सुषव की कुल मात्रा निश्चित स्थान पर पहुँच जाय क्योंकि इनका आयात अंडरबॉंड होता है। चूकि सुषव की कुल मात्रा नहीं पहुंच पाया, फलतः अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा द्वारा मेमो नं0– 956 दिनांक– 27.09.2006 से आवेदक को 5,92,232/– रु0 पेनाल्टी के रुप में जमा करने का निर्देश दिया गया जो, आवेदक द्वारा 8887.00 बल्क ली0 अर्थात् 14805 एल0पी0एल0 संशोधित सुषव के नुकसान के भरपायी के रुप में जमा करना है।

आवेदक के आवेदन पर अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, दरभंगा द्वारा आयात पारक सं0–29 दिनांक– 19.09.2006 को 12000 B.L को संशोधित अंडरबॉंड मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी (डिस्टीलरी डिवीजन) रीगा, सीतामढ़ी से लाने के लिए दिया गया। आवेदक का कहना है कि दिनांक– 25.09.2006 को टैंकर मधुबनी जिला के टीटापट्टी में पलट गया था जिस कारण 14805 LPL का नुकसान हो गया। पर उनका यह कथन विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता है, कारण की यदि दुर्घटना हुई तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय थाना को दिया जाना चाहिए था। जो नहीं दिया गया बल्कि लगभग 10 दिनों के बाद सूचना दी गयी साथ ही घटना की तिथि एवं समय में भी विरोधाभास है।

चुँकि आवेदक ने Excise Form 158 में बॉंड भरा है। आवेदक को यह स्पष्ट मालूम है कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सुषव को गंतव्य तक पहुँचाना आवश्यक है। सुषव की क्षति हेतु दिनांक– 27.09.2006 को 5,92,232/–

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

रुपये जमा करने का आदेश दिया गया। पुनः मेमो नं0– 305 दिनांक– 31.03.2007 को पेनाल्टी राशि जमा करने का निदेश दिया गया।

डिमान्ड नोटिस के विरुद्ध आयुक्त उत्पाद के न्यायालय में कैस सं0– 69/2007 में दायर किया। उत्पाद आयुक्त ने दिनांक– 15.09.2008 को डिमान्ड राशि 5,92,232/– रु0 को तुरंत जमा करने का आदेश दिया। जिसे आवेदक ने चालान सं0– 113 दिनांक– 04.10.2008 जमा किया।

उसके बाद वादी लगातार विभिन्न न्यायालयों में लगातार इस वाद को दायर कर मामले को उलझा कर रखना चाहते है। जो सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा– 11 के तहत् मान्य नहीं है।

वादी द्वारा टैंकर के पलटने के दस दिन बाद दिनांक– 04.10.2006 को सनहा दायर किया है। टैंकर पलटन के दस दिन बाद सनहा दायर करना ही मामले की संदिग्धता की पुष्टि करता है। एक्साईज Form No-158 में स्पष्ट है कि जो सुषव गंतव्य तक नहीं पहुँचता है उसकी डियूटी देय होगी।

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि उत्पाद आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः पुनरीक्षण आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

5/9/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

5/9/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।